

भूमिधर की अनापत्ति का प्रमाण पत्र

01	दशों	डालाकोट	श्रेणी 9(3) ग गौचर	45	1636	1.241	
					1637	0.800	
					1639	1.142	
					1641	0.308	
					1642	0.333	
					1644	0.139	
02	ठाणामटेणा	ठाणामटेणा	श्रेणी 9(3) ग गौचर	26	99	1.295	5.668
					100	0.445	
					1034	0.165	
					1058	0.071	
					1075	0.493	
					1087	0.229	
					1103	0.331	
					1104	0.005	
					1105	1.005	
					1106	0.011	
					1107	0.008	
					1108	0.055	
					1109	0.505	
					1110	0.279	
					1123	0.050	
					1124	0.021	
					1141	0.811	
					1177	0.253	
					1178	0.560	
					1179	0.079	
				योग	20	5.668	
03	बिमोला	कबारमल	श्रेणी 9(3) ड ब0का0आ0	35	1896	0.008	0.523
					227/6678	0.515	
			श्रेणी 10(4) ब0ना0का0आ0	47	1	1.512	9.786
					106	1.990	
					251	1.244	
					1462	5.040	
					531	0.305	
					533	0.148	
04	चाण	खूंट	श्रेणी 10(4) ब0ना0का0आ0	69	144	1.384	5-733
					145	1.257	
					148	0.882	
					149	0.387	
					151	0.324	

05	चाण	खूंट	श्रेणी 10(4) ब0ना0का0आ0	69	152	0.870	4-958
					153	0.506	
					155	0.123	
					5993 9049	3.755 1.203	

पटवारियो से प्राप्त भूमि बैंक में प्रस्तावित उपरोक्त भूमि राज्य सरकार की स्वामित्व की है, जिसमें पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधान लागू होते थे, चूंकि अब शासनादेश सं0 866 दिनांक 28-09-2011 से वन विभाग की अधिसूचना सं0 869-एफ/638 दिनांक 17-10-1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके फलस्वरूप नौ0जैड0ए0खतौनी के श्रेणी 9 (3) क, 9 (3) ख (1) 9 (3) ख (2) भूमि को छोड़कर शेष श्रेणियों में अंकित भूमि दिनांक 17-10-1893 की अधिसूचना से बाहर की गयी है।

अतः उपरोक्त भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराये जाने उपरान्त उक्त भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दिये जाने की सन्तुति की जाती है।

भवदीय,

तहसीलदार अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के कार्यालय पत्र संख्या 2152/50 सी दिनांक 07-12-2012 के क्रम में सूचनार्थ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को प्रस्तावित भूमि के नक्शा खसरा, खतौनी सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तहसीलदार अल्मोड़ा।